पटना समाहरणालय, पटना।

1583
26.07.2016

आदेश

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0 बजट आवंटन– 16/2016– 35 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016–17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग संख्या–1–उपशीर्ष–0125–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401007890125 विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में 61,02,000/– रूपये का आवंटन **अनुसूचित जाति वर्ग** के लिए पटना जिला को प्राप्त हुआ है, जिसे प्रखण्डवार धान एवं मक्का आच्छादन रकवा के आधार पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि की निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	खरीफ मौसम 2016 में पटना जिला का धान एवं मक्का आच्छादन क्षेत्र का कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए डीजल अनुदान हेतु उपावंटित की जा रही राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर	994	48138
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ	6434	311589
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक	4417	213909
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतुहा	5793	280547
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खुशरूपुर	3611	174876
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दनियावाँ	2647	128190
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी	11460	554991
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनरूआ	7245	350865
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुनपुन	5048	244467
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर	4262	206403
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनेर	4490	217444
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा	10121	490146
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रम	9041	437843
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार	6024	291734
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालीगंज	13972	676644
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर	11961	579254
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाढ़	2630	127367
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला	2542	123105
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलछी	2361	114340
20	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर	3940	190809
21	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडारक	3248	157296
22	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा	1726	83588
23	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घोसवरी	2033	98455
	कुल :–	126000	6102000

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग संख्या–1–उपशीर्ष–0125–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401007890125 विषय शीर्ष 33 01–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3118 दिनांक 18.07.2016 (छायाप्रति संलग्न) में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक– मो0–40/16 (सांख्यिकी)– **3103** दिनांक 22.07.2016 के आलोक में एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 30 रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 300 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 900 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। धान के लिए 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई तथा मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के लिए 3 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है।

4. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई रशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात् टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक ही उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

7. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 4572 (वि0) (2) दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

8. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व ससमय निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

9. इस मद में पूर्व वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी विहित प्रपत्र BTC FORM 42A इस कार्यालय को समर्पित करें।

26/7

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1583 कृ0, दिनांक 26.07.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण–सह–नोडल पदाधिकारी, पटना जिला/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/7

जिला पदाधिकारी,
पटना।